मनिलाल हीरामन चौधरी

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

09 अक्टूबर 2007

[एस. बी. सिंहा और हरजीत सिंह बेदी, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860 धारा 302/34 और 506-हत्या-चश्मदीद गवाह द्वारा घटना साबित हुई-अपराध का हेतु साबित-अभियुक्तगण की निशानदेही पर हथियारों की बरामदमी-हथियार पर लगा खून मृतक के रक्त समूह का पाया गया- विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 302/34 और 120-बी में दोषी ठहराया गया-उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 302/34 और 506 में दोषी ठहराया गया-अपील में अभिनिर्धारित किया गयाः मामले के तथ्यों के अनुसार दोषसिद्धि उचित थी।

अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 2 के साथ अभियुक्त सं. 1, 3 और 4 पर एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन का मामला यह था कि मृतक अपीलार्थी और अभियुक्त सं. 3 के पिता की हत्या के मामले मे आरोपी था। अपने पिता के दाह संस्कार की तारीख को, अपीलार्थी ने मृतक से बदला लेने की शपथ ले ली थी। जब मृतक पीडब्लू

-4 के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था, अभियुक्त स. 2, 3 और 4 ने पीडब्ल-5 द्वारा संचालित अपनी मारुति वैन सड़क के किनारे खड़ी करदी और मोटरसाईकिल रोक दी। उन्होंने मृतक पर हमला किया। उन्होंने पीडब्लू-4 को भी धमकी दी और वह मौके से भाग गया , एक राहगीर का वाहन लिया और प्राथमिकी दर्ज कराई। मृतक ने एक राहगीर को मृतक व्यक्तियों के नाम भी बताए थे (पीडब्लू-6)।

मुकदमे के दौरान, पीडब्लू 4 और पीडब्लू-5 से चश्मदीद गवाहों के तौर पर पूछताछ की गई। पीडब्लू-2 ने मृतक की हत्या के लिए अपीलार्थी द्वारा ली गई शपथ के संबंध में स्पष्ट रूप के गवाही दी थी। विचारण न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-302/34 और धारा-120-बी में दोषी ठहराया गया। अपील पर, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त संख्या-1 की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। अभियुक्त सं. 2,3 और 4 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा -302/34 के तहत दोषी ठहराया गया। अभियुक्त सं. 2 और 3 को आगे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341/34 के तहत और दोषी ठहराया गया।

अभियुक्त सं. 2 को आगे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी ठहराया गया। अभियुक्त सं. 4 की अपील इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी और अभियुक्त सं. 3 ने कोई अपील नहीं की थी।

अपीलार्थी ने वर्तमान अपील में तर्क दिया कि पीडब्लू 4,5 और 6 के

कथन विश्वसनीय नही हैं; अपीलार्थी के द्वारा ली गई शपथ के तथ्य के बारें में यह नहीं कहा जा सकता था कि वह साबित हो गयी थी, यहॉ तक कि कोई शिकायत नही की गई थी, और न ही किसी व्यक्ति को इस संबंध में सूचित किया गया था; मोटरसाइकिल सवार जिसके साथ पीडब्लू-4 गया था और मारुति वैन के मालिक जिनके पास पीडब्लू-5 ने घटना का खुलासा किया था, से परीक्षण नहीं किया जाना महत्वपूर्ण हैं।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1. विवादित फैसले में कोई दुर्बलता नहीं है। पीडब्लू 4,5 और 6 की प्रत्यक्ष साक्ष्य के अलावा पीडब्लू 2 के द्वारा भी अपराध कारित करने का हेतु साबित किया गया है। अभियुक्त नं. 2 और उसके पिता के विरूद्ध मृतक की हत्या का प्रयास करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना, और कुछ 8 से 9 लोगों के खिलाफ अभियुक्त संख्या 2 के पिता ही हत्या करने के लिए आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था, विवादित नहीं है।[पैरा 17 और 19] [825-एफ, जीः 826-बी]

2. पीडब्लू ने मृतक की हत्या करने के लिए अपीलार्थी द्वारा ली गई शपथ के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है। यह सच हो सकता है कि उसने पुलिस या दूसरों को सूचित नहीं किया, लेकिन यह अपने आप में उसकी साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है। [पैरा 6] [822-बी]

3. यह तथ्य कि पीडब्लू-4 ने अभियुक्तगण के प्रति शत्रुतापूर्ण तरीके

से साक्ष्य दी थी अपने आप मे पीडब्लू 4 पर अविश्वास करने के लिए एक वैध आधार नहीं होगा, जो अन्यथा सच्चा है। यह सही हो सकता है कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता उक्त गाँव के दो समूह हैं। पीडब्लू-4 ने उक्त तथ्य को स्वीकार किया है। [पैरा 7 और 8] [822-एफ, जी एच]

4. पीडब्लू-5 एक स्वतंत्र गवाह था। वह उस मारुति वैन को चला रहा था जिसमें अभियुक्तगण यात्रा कर रहे थे। उसके पास असत्य कथन करने का कोई कारण नहीं था। अभियुक्तगण ने जिन स्थानों का दौरा किया, उनके बारे में उसने एक विशद विवरण दिया। वह इस घटना का चश्मदीद गवाह था। वह उस जगह से भागना चाहता था, लेकिन उसे अभियुक्तगण द्वारा धमकी दी गई थी। मृतक पर हमला करने के बाद अभियुक्तगण उस वाहन में बैठ गए थे, और उन्हें एक मंदिर में ले जाने के लिए कहा। वे शाम को वहाँ पहुँच गए। वहां उसे धमकी भी दी गई। इसके बाद वह आया और गाड़ी के मालिक को घटना की जानकारी दी[पैरा 10] [823-सी, डी]

5. पीडब्लू-6 जिसने मृतक को घायल अवस्था में पाया था, उसका इरादा उससे हमलावरों के नामों का पता लगाना था। मृतक ने उसे वह बताया भी। दोनों ही न्यायालयों के द्वारा इस गवाह की गवाही पर अंतर्निहित निर्भरता रखी गई। केवल इसलिए कि गवाह के अनुसार अत्यधिक रक्तसाव हुआ था। यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक के

लिए खुलासा करना असंभव था । मात्र अत्यधिक रक्त स्राव का होना अपने आप में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि मृतक बोलने की स्थिति में नहीं था।[पैरा 13 और 14] [824-ए,बी]

6. मारुति वैन के मालिक की परीक्षा करना आवश्यक नही था। वह कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। सिवाय इस तथ्य के कि उसका वाहन किराये पर लिया गया, वह कुछ और साबित नहीं कर सकता था।[पैरा 11] [823-ई]

7. यहां तक कि मोटरसाइकिल सवार जो पीडब्लू-4 को पुलिस स्टेशन ले गया था, का परीक्षण नहीं करना भी तात्विक नहीं है। वह घटना का गवाह नहीं था यह तथ्य कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल दर्ज की गई थी और मृतक एक ट्रेक्टर में ईलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, किसी विवाद की विषयवस्तु नहीं हैं। पीडब्लु-4 पुलिस थाने कैसे पहुॅचा उसके आचरण को निर्णित करने के लिए सुसंगत हो सकता है। मात्र मोटरसाईकिल स्वामी की परीक्षा नही होने से यही निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि पीडब्लू-4 के द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाई गई थी। [पैरा 12] [823-एफ,जी,एच,]

8. अभियुक्त नंबर 2 ने भी एक प्रकटीकरण बयान दिया हैं जिसके आधार पर अपराध के हथियार की बरामदगी हुई है। यहां तक कि आरोपी संख्या 1 ने भी प्रकटीकरण बयान दिया है और उस स्थान को दिखाया

जहा खुन से सने कपड़े जला दिए गए। हथियार खून से सना हुआ पाया गया। जिस स्थान पर अपराध का हथियार छिपाया गया था, वह घटना स्थल से 250 कि. मी. की दूरी पर था। कथित भोतिक वस्तुओ पर जो रक्त था वह रक्त समूह-बी से संबंधित था। मृतक का रक्त समूह भी 'बी' था। (पैरा 18) (825-एच-, 826-ए,बी)

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 1200/2006

बाम्बे उच्च न्यायालय औरंगाबाद पीठ के सीआरएल. ए. संख्या 60/1992 में निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 17.10.2005 से।

अपीलार्थी की ओर से शेखर नाफडे, सुधांशु चौधरी, राजश्री दुबे और सुनील कुमार वर्मा।

प्रत्यर्थी की ओर से डॉ. राजीव बी. मसोदकर और रवींद्र केशवराव एडसुरे।

न्यायालय का निर्णय एस.बी.सिन्हा, जे. द्वारा दिया गया था।

1. बाम्बे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ, औरंगाबाद बेंच, औरंगाबद के द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 17.10.2005 से व्यथित और असंतुष्ट मणिलाल हीरामन चौधरी हमारे सामने हैं। भौलाल जाधव अपीलार्थी कि पिता और आरोपी संख्या 3 ही हत्या के मामले में आरोपी था। कथित तौर पर, जब हीरामन का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब

अपीलार्थी ने शपथ ली अपने पिता की। अपीलार्थी के साथ अनिल शिवराम पवार (अभियुक्त सं. 1), प्रेमराज हीरमन चौधरी (अभियुक्त सं. 03) और बापू @ गंगाराम शांताराम सलूँरवे (अभियुक्त सं. 4) का भौलाल जाधव अपीलार्थी और अभियुक्त सं. 03 के पिता की हत्या के मामले में आरोपी था। कथित तौर पर जब हीरामन का अंतिम संस्कार हो रहा था। तब अपीलार्थी ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने की शपथ ली थी।

भौलाल (मृतक) 13.02.1991 को 11ः00 ए.एम. पर या लगभग मोटरसाइकिल पर जलगॉव जा रहा था। उसके साथ लोटू एको पाटिल (पीडब्लू-4) था।

जब वे जलगॉव से लगभग 3 कि.मी. की दूरी पर थे आरोपीगण जो सड़क के किनारे खड़ी एक मारुति वैन में थे नीचे उतर गये। मोटरसाइकिल को आरोपी संख्या 2 , 3 और 4 ने रोका था। प्रेमराज (अभियुक्त सं. 03) के बारे में कहा गया है कि उसने भौलाल और मणिलाल (आरोपी संख्या 2) को पकड़ लिया और गंगाराम (आरोपी संख्या 4) को चाकू से घायल कर दिया। पीडब्लू-4 द्वारा मृतक को बचाने के प्रयास के परिणामस्वरूप उसे धमकी मिली, जिसके बाद वह जलगांव की ओर भागने लगा। भौलाल ने भी वहॉ से भागकर स्वंय को बचाने की कोशिश की थी। आरोपी संख्या 2 और 3 द्वारा उसका पीछा कर फिर से चाकू से हमला किया गया। पीडब्लू-4 तुरंत एक राहगिर के वाहन से तालुका पुलिस स्टेशन जलगांव गया। एक

प्रथम सूचना रिपोर्ट 11.45 ए.एम. पर दर्ज की गई थी। भौलाल को एक ट्रेक्टर में अस्पताल ले जाया गया। लगभग 12.45 बजे उसकी मृत्यु हो गई।

2. मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों के बयान लेखबृद करवाये। लोटू इको पाटिल (पीडब्लू-4) और गोविंदा शामराव मराठे (पीडब्लू-5) घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में परीक्षित करवाये गये।

3. हम इससे पहले देख चुके हैं कि पीडब्लू-4 सूचना देने वाला था। पीडब्लू-5 उस मारुति वैन का चालक था, जिसे आरोपीगण ने किराए पर लिया था। वे नासिक जिले के ओंकारेश्वर और सप्तश्रृंगी गड गए थे। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने साक्ष्य पर विचार करते हुए सभी अभियुक्त व्यक्तियों को धारा 302 सपठित धारा -34 और धारा-120-बी भारतीय संहिता के तहत दोषी ठहराया गया हालॉकि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दायर आपराधीक अपील में दोषसिद्वि को दरकिनार कर दिया गया और अभियुक्त सं. 1,2,3 और 4 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया। अभियुक्त सं. 2 और 3 को भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341 सपठित धारा -34 के तहत दोषी ठहराया गया था। आरोपी संख्या 2 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के तहत भी दोषी ठहराया गया।

4. निर्विवाद रूप से. गंगाराम शांताराम सालुंखे ने दोषसिद्वि और

सजा के उक्त फैसले के खिलाफ इस अदालत में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आपराधिक अपील सं.-241 ऑफ 2006 से अपील की। उक्त अपील को इस न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश दिनांक 22.11.2006 द्वारा खारिज कर दिया गया है। [देखे गंगाराम शांताराम सालुंखे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 12 स्केल 259]। प्रेमराज हीरामन चौधरी (अभियुक्त सं. 3) ने कोई अपील नहीं करी है।

5. श्री शेखर नाफडे, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने अन्य बातों के साथ, यह कथन किया है कि अपीलार्थी के खिलाफ दोषसिद्वि के आधार और निर्णय के लिए पीडब्लू 4 और 5 के बयानों पर भरोसा करना खतरनाक होगा।विद्वान अधिवक्ता का आग्रह है के सुखलाल के अपीलार्थी द्वारा अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ली गई कथित प्रतिज्ञा के संबंध में दिए गए तर्क को साबित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि न तो इस संबंध में शिकायत की गई थी और न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके बारे में सूचित किया गया था।

6. पीडब्लू-2 एक श्रम ठेकेदार था। वह पचांयत का सदस्य भी था। उन्होंने अपीलार्थी द्वारा मृतक भौलाल की हत्या के लिए ली गई शपथ के बारे में स्पष्ट रूप से बताया था। यह सच हो सकता है कि उसने पुलिस या अन्य व्यक्ति को सूचना नहीं दी थी लेकिन हमारी राय में, उसकी साक्ष्य को मात्र इसी आधार पर दरकिनार करने का आधार नहीं हो सकता

है।

7. अब हम पीडब्लू-4 की साक्ष्य को देख सकते हैं। वह एक ग्राम पंचायत में चपरासी था। वह मोटरसाइकिल पर मृतक के साथ था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि एक मारुति वैन उनसे आगे निकल गई थी। यह कुछ दूरी पर खड़ा पाया गया। मृतक के साथ-साथ उसने भी मारुति वैन को पहचाना था। उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों को वहॉ से नीचे आते देखा। अभियुक्त ने मोटरसाइकिल रोक दी थी। प्रेमराज ने मृतक को पकड़ लिया और मणिलाल ने उस व्यक्ति पर एक खंजर से वार करना शुरू कर दिया। एक अज्ञात व्यक्ति भी था जिसने दरांती के साथ वार किया था। हस्तक्षेप करने पर पी. डब्ल्यू-4 को मणिलाल ने धमकी दी। उसने अभियुक्तगण द्वारा हाथों में हथियार लेकर मृतक पर प्रहार करने का विवरण दिया है। धमकी मिलने पर वह जलगांव की ओर भागने लगा। उसने पया कि एक मोटरसाईकिल सवार उसकी ओर आ रहा है। एक संकेत दिया और पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के लिए करीब 11ः45 ए.एम. पर आया। प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी विलम्ब के दर्ज करवायी गयी थी। जो भी हो। वास्तव में, पुलिस घटना स्थल पर आई और मृतक को ट्रैक्टर से अस्पताल ले जाया गया। श्री नाफडे ने कहा कि पीडब्लू-4 ने अपकारपूर्वक अभियुक्तगण के खिलाफ साक्ष्य दी है, क्योंकि उसने पुलिस में शिकायत की थी कि हीरामन, प्रभाकर मोतीराम और अन्य ने 26.05.1985 को उसे

मारने की कोशिश की थी। लेकिन हमारी राय में उक्त गवाह जो अन्यथा सत्यवादी हैं कि साक्ष्य पर की अविश्वास करने के लिए मात्र यह ही आधार नहीं होगा।

8. यह सच हो सकता है कि उक्त गॉव में दो समूह हैं। पीडब्लू 4 ने उक्त तथ्य को स्वीकार किया है। हीरामन और मणिलाल पर भौलाल की हत्या के प्रयास के लिए मुकदमा चलाया गया था। हालांकि, उन्हें बरी कर दिया गया था। भौलाल व 8-9 कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा अभियुक्त संख्या 2 व 3 के पिता हीरामन की हत्या करना कहा गया था, जिसके लिए उनके विरूद्व एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था। 9. वाहन चॉकलेट रंग का बताया गया था। लेकिन कहा जाता है कि उसे नीले रंग की मारुति वैन दिखाई गई है। हमारा भी ध्यान पीडब्लू-5 के बयान पर आकृष्ट किया गया, जो उक्त मारुति वैन का चालक था जिसने मारुति वैन का रंग गहरा नीला नहीं होकर हल्का नीला बताया था। हमारी राय में इस तरह के छोटे विरोधाभास बहुत अधिक महत्व के नहीं है।

10. पीडब्लू-5 एक स्वतंत्र गवाह था। वह उस मारुति वैन को चला रहा था। जिसमें आरोपीगण यात्रा कर रहे थे। उसके पास स्वार्थी होने के लिए कोई कारण नहीं था। उन्होंने अभियुक्तगणों द्वारा भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में एक स्पष्ट विवरण दिया। वह इस घटना का चश्मदीद गवाह था। वह उस स्थान से दूर भागने का इरादा रखता था। लेकिन उसे

आरोपी द्वारा धमकी दी गई थी। मृतक पर हमला करने के बाद वे उक्त वाहन में बैठे और उसे उन्हें वाणी गढ के मन्दिर तक ले जाने के लिए कहा। वे शाम को वहॉ पहुॅच गए। वहॉ उसे धमकी दी गई। इसके बाद वह जलगांव आया और वाहन के मालिक योगेश अग्रवाल को घटना के बारे में बताया।

11. श्री नाफडे ने कहा कि उक्त योगेश अग्रवाल की पुलिस द्वारा जॉच होनी चाहिए थी। हमें नहीं लगता कि ऐसा करना आवश्यक था। वह चश्मदीद गवाह नहीं था। इस तथ्य को छोड़कर कि उसका वाहन किराए पर लिया गया था। वह कुछ और साबित नहीं कर सकता था।

12. इसलिए हम पीडब्लू-4 और 5 के बयान में कोई कमी नहीं देखते हैं। हम यह भी देख सकते हैं कि श्री नाफड़े के अनुसार, मोटरसाइकिल सवार जो पीडब्लू-4 को पुलिस स्टेशन ले गया था, वह परीक्षित नहीं किया गया था। उस व्यक्ति का मामले से कोई लेना देना नहीं था। वह घटना का गवाह भी नहीं था और यह तथ्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज की गई थी और मृतक को ट्रैक्टर में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, यह किसी विवाद का विषय नहीं है। पीडब्लू-4 पुलिस स्टेशन कैसे पहुॅचा यह तथ्य उसके आचरण को तय करने कि लिए प्रासंगिक हो सकता है। मोटरसाइकिल के मालिक की जांच करने में विफलता, हमारी राय में, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि पीडब्लू-4

द्वारा कोई प्रथम रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाई गई थी।

13. पीडब्लू-6 नामदेव है। वह भी जलगॉव जा रहा था। उसने भौलाल को घायल अवस्था में पाया था। वह उससे हमलावरों के नाम पता लगाना चाहता था। भौलाल ने उसे इस बात का खुलासा भी किया। दोनों ही न्यायालयों ने इस गवाह की गवाही पर भी अंतर्निहित निर्भरता रखी है।

14. श्री नाफडे का तर्क है कि इस गवाह के अनुसार भारी रक्तस्राव हुआ और लगभग दो लीटर खून मृतक के शरीर के चारों ओर जमा हो गया और, इस प्रकार, मृतक के लिए यह असंभव था कि वह हमलावरों के नामों का खुलासा कर सके, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि बहुत अधिक रक्तस्राव हुआ था, वही अपने आप में इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेगा कि मृतक बोलने की स्थिति में नहीं था।

15. हम यह भी देख सकते हैं कि डॉक्टर को मृतक के शरीर पर निम्नलिखित बाहरी चोटें मिलीः

1. दाहिने कान पर 4 1/2 ‘‘लंबाई और 2’’ चौड़ाई में चोट। यह मस्तिष्क की गहराई तक थी।

2. ओसीपीट से बाएं मास्टोरॉइड 4 ‘‘लंबाई×1’’ चौड़ाई तक फैली हुई चोट।

3. चिकित्सा पहलू से स्कैपुला से उपरी सीमा तक कंधे के उपरी एक

तिहाई तक कटा घाव। प्रथम चोट के समानांतर।

4. कटा हुआ घाव, 3 ‘‘लंबाई में 1 1/2’’ हड्डी की चौडाई में चिकित्सा पहल से स्कैपुल से बाएं कंधे के जोड में ।

5. दाहिने उपरी 1‘‘x1‘‘ मस्तिष्क के भीतर प्रवेश करने वाला गहरा घाव।

6. मुॅह के दाहिने कोण से जबडे तक फैला हुआ कटा हुआ घाव 3‘‘×1’’ के आकार का।

7. स्कैपुला अनुप्रस्थ के निचले छोर की दिशा में 1‘‘×1/2’’ का कटा हुआ घाव।

8. दाहिनी मिडक्लेविकल लाइन की दिशा में अनुप्रस्थ कटा हुआ घाव 32‘‘× 2’’।

9. कटा हुआ घाव 3‘‘ नाभि के नीचे अनुप्रस्थ दिशा में, 3 x 1/2‘‘ बायीं ओर और 2‘ ‘दाहिनी ओर।

10. कटा हुआ घाव 4’’ कलाई के जोड़ के उपर गोलाई मे 1’’× 1’’ का।

11. समीपस्थ एम. पी. जोड़ से कटी हुई बाई तीन उंगलियॉ।

12. दाहिना अंगूठा काट दिया गया था, केवल त्वचा बची थी।

13. 8 वीं पसली में मध्य अक्षीय रेखा में बाई ओर भेदन घाव, एल 3 स्तर से बिंदु 4“ तक आकार में 4 वक्र पेट की आंत के सम्पर्क के साथ पेट की गुहा तक विस्तारित ।

बाहरी चोटों के अलावा, डॉक्टर ने निम्नलिखित आंतरिक चोटो को देखाः

1. दाहिनी कनपटी की हड्डी का फैक्चर था।

2. सुपीरियर ऑर्बिटी हड्डी टूट गई थी, खोपडी को खोलने पर मस्तिष्क की दाहिनी ओर घाव था।

3. बांई ओर की 8 वीं, 9 वीं, 10 वीं, 11 वीं, 12 वीं पसलियों का फैक्चर था।

16. पीडब्लू-13 डॉ. उल्हास पाटिल हैं। उक्त गवाह के अनुसार, चोटें नं. 5 और 13 शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर थी और वे मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त थी। उसे आई चोटों की प्रकृति के साथ-साथ डॉक्टर की राय पर भी सवाल नहीं है। इसके अलावा यह स्वीकार किया गया कि भौलाल की हत्या करने में एक से अधिक हथियारों का उपयोग किया गया था। अपराध का अन्वेषण धनराज गोपालराव (पीडब्लू-17) और पोपट (पीडब्लू-15) द्वारा किया गया था। चाकू और अभियुक्त संख्या 3 के खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए थे।

17. पीडब्लू 4,5 और 6 के प्रत्यक्ष साक्ष्य के अलावा, अपराध करने का उदेश्य पीडब्लू-2 द्वारा साबित किया गया है। यह तथ्य विवादित नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त संख्या 2 और 3 के पिता हिरामन और मनीलाल (अभियुक्त संख्या 2) के विरूद्व भौलाल की हत्या के प्रयास करने कि लिए दर्ज करवाई गई थी और क्राईम संख्या 81 ऑफ 1990 मृतक और 8-9 व्यक्तियों के विरूद्व हीरामन की हत्या करने के लिए दर्ज किया गया था।

18. हमने यह भी देखा है कि अभियुक्त संख्या 2 ने भी प्रकटीकरण बयान दिया हैं जिससे बरामदगी हुई है, जिसे सप्तश्रृंगी गढ़ में छुपाया गया था। यहां तक कि आरोपी नंबर 1 ने भी प्रकटीकरण बयान दिया है। और वह स्थान दिखाया जहॉ कपड़े जला दिए गए थे। हथियार खुन से सना हुआ पाया गया है। वह स्थान जहॉ अपराध का हथियार छुपाया गया था वह घटना स्थल से 250 कि.मी दूरी पर था। उन भौतिक वस्तुओं में जो रक्त था, वह समूह -बी से सम्बन्धित पाया गया। मृतक का रक्त समूह भी 'बी' था।

19. इसलिए हमारा मानना है कि विवादित निर्णय में कोई कमी नहीं है। अपील किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खरिज की जाती है।

के.के.टी. अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी निलेश सिंह चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।